

जिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



S. S. Palaniappan
REGD. NO. D.L.-33004/99
(ए. एस. पालानिप्पणम) 19/12/12
(S. S. PALANIAPPAN)
वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री
Minister of State in the Ministry of Finance

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, सितम्बर 6, 2012/भाद्र 15, 1934

No. 441]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2012/BHADRA 15, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 670(अ).—केंद्रीय सरकार, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) की धारा 3 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"4. मध्यम-कालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यम-कालिक व्यय रूपरेखा विवरण:

केंद्रीय सरकार

- (क) मध्यम-कालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण तथा वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण और अनुदान-मांग क्रमशः प्ररूप च-1, च-2 और च-3 में, और

- (ख) मध्यम-कालिक व्यय रूपरेखा विवरण प्ररूप च-4 में

संसद के दोनों सदन के समक्ष रखेगी।"

- उक्त नियमों में, प्ररूप च-3 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

313

2

प्ररूप च - 4

[नियम 4 देखें]

मध्यम-कालिक व्यय रूपरेखा

क. मध्यम-कालिक व्यय अनुमान

[राशि: करोड़ रुपए]

राजस्व व्यय	पिछले वर्ष के पुनरीक्षित	चालू वर्ष के बजट	आगामी दो वर्षों के लिए लक्ष्य	
	प्राक्कलन	प्राक्कलन	वर्ष+1	वर्ष+2
01. वेतन	वर्ष-1	वर्ष		
02. ब्याज				
03. पेंशन				
04. आर्थिक सहायता				
क. खाद्य				
ख. उर्वरक				
ग. पेट्रोलियम				
05. राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए केंद्रीकृत उपबंध				
06. रक्षा				
07. डाक संबंधी घाटा				
08. विदेशी मामले				
09. गृह मामले				
10. कर प्रशासन				
11. वित्त				
12. शिक्षा				
13. स्वास्थ्य				
14. समाज कल्याण				
15. कृषि और संबद्ध				
16. वाणिज्य और उद्योग				
17. शहरी विकास				
18. ग्रामीण विकास				
19. पूर्वोत्तर विकास				
20. योजना और सांख्यिकी				
21. वैज्ञानिक विभाग				
22. ऊर्जा				
23. परिवहन				
24. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार				
25. संघ राज्य क्षेत्र				
26. अन्य				
जोड़ - राजस्व व्यय				
जिसमें से पूंजी आस्तियों के लिए अनुदान				

	पिछले वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन	चालू वर्ष के बजट प्राक्कलन	आगामी दो वर्षों के लिए लक्ष्य	
	वर्ष-1	वर्ष	वर्ष+1	वर्ष-1
पूँजीगत व्यय				
01. रक्षा				
02. गृह				
03. वित्त				
04. स्वास्थ्य				
05. वाणिज्य एवं उद्योग				
06. शहरी विकास				
07. योजना एवं सांख्यिकी				
08. वैज्ञानिक विभाग				
09. ऊर्जा				
10. परिवहन				
11. सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार				
12. राज्यों को ऋण				
13. संघ राज्य क्षेत्र				
14. अन्य				
जोड़ - पूँजीगत व्यय				
कुल व्यय				

ख. मध्यम-कालिक व्यय लक्ष्यों को रेखांकित करने वाली अवधारणाएं

1. राजस्व व्यय

- (क) वेतन
- (ख) पेंशन
- (ग) ब्याज संदाय
- (घ) आर्थिक सहायता
- (ङ) रक्षा
- (च) अन्य राजस्व व्यय और रेखांकित व्यय प्राथमिकताएं

2. पूँजी आस्तियों के लिए सहायता-अनुदान

3. पूँजीगत व्यय

- (क) रक्षा
- (ख) अन्य पूँजी व्यय और रेखांकित व्यय प्राथमिकताएं

[फा. सं. 3(1)/2011-एफआरबीएम]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव